

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28(0)परावि/प्रशा.2/सहा.वि.अ.-थानागाजी/गिरफ्तारी/2021/

जयपुर,दिनांक: 7-4-21

:: आदेश ::

1236

श्री प्रहलाद मीणा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थानागाजी (अलवर) को थानाधिकारी, पुलिस थाना प्रतापगढ़ (अलवर) से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इनके विरुद्ध दर्ज मुकदमा नं. 169/2019 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी आईपीसी/27.09.2019 में दिनांक 23.02.2021 को गिरफ्तार किया गया है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान असैनिक सेवाये (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रहलाद मीणा को गिरफ्तारी दिनांक 23.02.2021 से निलम्बित माने जाने के (Deemed to have been suspended) एतद्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री प्रहलाद मीणा का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद, अलवर रहेगा, निलम्बन काल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-IA

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर को उनके पत्र क्रमांक 2817 दिनांक 30.03.2021 के क्रम में।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थानागाजी (अलवर) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निलम्बन आदेश का श्री प्रहलाद मीणा की सेवापुस्तिका में इन्द्राज लाल स्याही से कर प्रमाणित प्रति भिजवाना सुनिश्चित करावें।
4. श्री प्रहलाद मीणा, सहायक विकास अधिकारी, पं.स. थानागाजी (अलवर)।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-II